वन विभाग हरियाणा

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी (क्षे), रेवाड़ी

वन परिसर, कृष्णा नगर, रेवाड़ी , दूरभाष /फैक्स - 01274-254568 Email. dforewari2004@gmail.com

क्रमांक : सेवामें :

दिनांक 20/68

प्रार्देशिक प्रबन्धक(रिटेल)

भारत पट्रोलियक कॉपोरेशन लिमेटिड, ग्राम–करनावास, रेवाडी, हरियाणा।

विषय :

Diversion of 0.0142 ha. of forest land for access to the proposed Retail outlet

along Rewari-kotkasim Road on Mustil No. 21& killa no. 12/2/1,12/1/2, 19/1/1 at

village Bakhapur under Forest Division and District, Rewari, Haryana.

(FP/HR/Approach/41797/2019)

सन्दर्भः

मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी०ए०) हरियाणा, पंचकूला का पत्र क्रमांक 4332 दिनांक 26.02.2020

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भाकित पत्र द्वारा विषयांकित केस कि सैद्वान्तिक स्वीकृति सी.ए, एन.पी.वी. एवं अन्य चार्जिज कि राशी ऑनलाईन चालान जनरेट करके जमा करवाने हेतू, प्राप्त हुई है(प्रति संलग्न) अतः इस सम्बन्ध मे आपको लिखा जाता है कि आप भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मन्त्रालय कि वैबसाईट <u>www.parivesh.nic.in</u> पर अपनी रजिस्टर्ड यूजर आई.डी. से ऑनलाईन चालान जनरेट करके चालान में अंकित खाते में निम्न विवरणानुसार राशि जमा करवाएं —

Sr.No.	Particulars of Charges Amount	
1	Compensatory Afforestation	Amount
2		102542
2	Additional Compensatory Afforestation	13050.8
3	Felling	
4	Exigency charges	1140
5		30763
· ·	Net Present value	12595
6	G. Total	
		160090.8

अतः उपरोक्त अनुसार राशि जमा करवाकर बैंक चालान कि प्रति यूटीआर नम्बर सहित एवं

जिला योजनाकार अधिकारी से प्राप्त एन०ओ०सी० कि प्रति यथाशीघ्र इस कार्यालय को भेजे ताकि स्टेज-II हेतू प्रस्ताव उच्चाधिकारियो को भेजा जा सके।

पु०कमांकः 🛚 🎖 🔈

वन मण्डल अधिकारी रेवाडी ।

दिनांकः 🚧

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, बावल को भेजकर लिखा जाता है कि प्रस्तावित साइट पर बिना फाईनल स्वीकृति के किसी भी प्रकार से कार्य आरम्भ न होना सुनिश्चित करे, अन्यथा इसमे किसी प्रकार कि लापरवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगे।